

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

—: अधिसूचना :—

सं०सं०-प्र०-13-98/2025

867

पटना, दिनांक-16-02-2026

विभागीय अधिसूचना सं०-3572 दिनांक 26.08.2021 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा-6 एवं 8 के प्रावधानों के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2021 का गठन किया गयाजी है। उक्त नियम में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में गयाजी, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

जिला पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
(i) उप विकास आयुक्त	-	सदस्य
(ii) अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	-	सदस्य
(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
(iv) जिला असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-	-	सदस्य
(v) जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	सदस्य
(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी	-	सदस्य
(vii) जिला कृषि पदाधिकारी	-	सदस्य
(viii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी	-	सदस्य
(ix) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	सदस्य
(x) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०)	-	सदस्य
(xi) जिला माप एवं तौल पदाधिकारी	-	सदस्य
(xii) प्रबंधक, जिला लीड बैंक	-	सदस्य

2. राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग-जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम-से-कम एक महिला होगी।

(xiii) **श्रीमती ममता कुमारी**

पति- श्री मुरारी कुमार
पता-ग्राम-चिलिम, टोला-पथलकट्टी,
पंचायत-चिलिम, प्रखंड-शेरघाटी।

(xiv) **श्रीमती सोनम कुमारी**

पति- दिनेश पासवान
पता-ग्राम-चितोखर, पं०-सण्डा,
प्रखंड-टिकारी।

शर्त:-

3. **उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल** - उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा,

परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीन माह की अतिरिक्त अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

4. **उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र** – कोई भी सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्व-लिखित सूचना देते हुए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।
5. **त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति** –
- (I) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
- (II) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गयाजी व्यक्ति केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।
6. **कार्य समूह** – (I) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से, उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गयाजी प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करेगा जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।
- (II) उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें यह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।
- (III) कार्य समूह उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
- (IV) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षों को उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (V) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गयाजी था।
7. **कार्य संचालन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें** –
- (I) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक संबंधित जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी।
- परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जब अध्यक्ष का यह मत हो, कि ऐसा करना उपयुक्त है, किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।
- (II) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजनार्थ चुने गए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
- (III) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आयोजित तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकती है।
- (IV) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।
- (V) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुमति को छोड़कर, चर्चा नहीं की जाएगी।
- (VI) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (VII) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को अगली बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(VIII) किसी रिक्ति के होने अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन में किसी दोष के होने मात्र से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जाएगी।

8. व्यय और बैठक शुल्क की प्रतिपूर्ति — उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे :-

(क) सदस्यों का यात्रा भत्ता :- विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों एवं सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें उनके पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।

(ख) उप-नियम (क) के अधीन किया गयाजी प्रत्येक दावा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यक्षीन होगा कि वे उपभोक्ता संरक्षण परिषद अथवा इसके किसी कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

(ग) स्थानीय सदस्यों के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के श्रेणी -1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सत्येन्द्र नारायण सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0-13-98/2025

867

/खाद्य, पटना/दिनांक:-16-02-2026

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गयाजी/उप विकास आयुक्त, गयाजी/अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गयाजी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गयाजी/जिला असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गयाजी/जिला कल्याण पदाधिकारी, गयाजी/जिला कृषि पदाधिकारी, गयाजी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गयाजी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गयाजी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), गयाजी/जिला माप तौल पदाधिकारी, गयाजी/प्रबंधक, जिला लीड बैंक, गयाजी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/नामित दोनो प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. समाहर्ता गयाजी से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने की कृपा करें।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0-13-98/2025

867

/खाद्य, पटना/दिनांक:-16-02-2026

प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0-13-98/2025

867

/खाद्य, पटना/दिनांक:-16-02-2026

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।